राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार(अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक प. 5 (5) प्र.सु./अनु.4/2006 जयपुर, दिनांकः 28.7.2007

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5.12.2006 एवं समय–समय पर प्रसारित किये गये दिशा–निर्देशों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अधिकारी एवं कर्मचारीगण विभाग/कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हो करके राजकार्य का सम्पादन करें।

लेकिन यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय में अधिकारी/कर्मचारीगण विलम्ब से विभाग/कार्यालय में उपस्थित होते है जो गम्भीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारीगण/कर्मचारियों की कार्यालय समय प्रारम्भ होने के समय बिन्दु पर अर्थात 10.00 बजे एवं पूरे कार्यालय समय में राजसेवक की निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

यदि कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारीगण इन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

अतः सभी सम्बन्धितों से अनुरोध है कि इन दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (सचिवालय परिसर में स्थित)
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
7. पंजीयक, शासन सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Pradhan/SDOP/Attd./7/28/2007